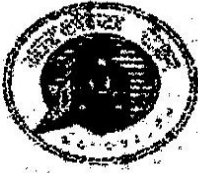


पूर्वोत्तर रेलवे



1/83/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर

ई0पी0नं0-2-09

क्रमांक- 83 / 2017

आरबीई सं0-39 / 2017 (स्पष्टीकरण / संशोधन सं0-79)

सं0 ई / 227 / 7 / भाग-15 / चार

सचिव / महाप्रबन्धक

सचिव / अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 5-05-2017

विषय:- ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व के लिए क्रीडा के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति (ओटीसी) दिए जाने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2016 / ई(स्पोर्ट्स) / 5(1) / 12 / रियो-ओलम्पिक 2016 दिनांक 25.04.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 31.12.2010 (आरबीई सं0-189 / 2010) एवं 23.05.2013 (आरबीई सं0-50 / 2013) इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक सं0 ई / 227 / 2 / भाग-XII / चार दिनांक 31.01.2011 (क्रमांक-24 / 2011) एवं सं0 ई / 227 / 2 / भाग-XIII / IV दिनांक 09.10.2013 (क्रमांक-90 / 2013) द्वारा पूर्व में परिचालित किया जा चुका है।

संलग्नक / यथोपरि

(ए0 के0 सिंह) 5.17

उपमुकाधि / अराज

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर - 04 प्रति में।
- 5- महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकायाधी / एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

2
8/3/2017

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2016/E(Sports)/5(1)/12/Rio-Olympic 2016

New Delhi, dated 25.04.2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including NER
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

circulate 25/4/17
25/4/17
A. Singh 02/05
25/4/17
S. K. Singh
D. P. Singh
25/4/17
25/4/17

Sub.: Out-of-Turn Promotions (OTP) to outstanding Sportspersons on sports accounts for representing India in Olympic Games.

Ref.: Board's letters nos. (i) 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189/2010),

(ii) 2012/E(Sports)/4(1)/3/OTP/DOPT dated 23.05.2013 (RBE No. 50/2013) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

Please connect Para 9.2.1.1 (i) & 9.2.2.1 (i) of Board's policy letters mentioned above regarding out of turn promotion to outstanding sportspersons for participation in Category-A International Championships i.e. Olympic Games.

Ministry of Railways (Railway Board) have now decided that

- Out of turn promotion may be granted in Gazatted post for representing the Country in Olympic Games with at least 4th position;
- Out of turn promotion may be granted for representing the country in Olympic Games, to the next higher grade or the grade to which he/she would be eligible for against direct recruitment, whichever is higher.

OR

In case he/she has already reached apex of the grade, in that scenario, he/she may be granted five increments (irrespective of any increment granted already), as a special case.

These instructions will also be applicable for Rio Olympics 2016.

These instructions issue with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways (Railway Board).

Bhaskar Roy Choudhary

(Bhaskar Roy Choudhary)
Dy. Director, Estt. (Sports)

128
25/4/17